PROF. P. J. KURIEN : The hon. Minister said that Kerala would be getting a share in power from the Central projects. What is the percentage of share of power that Kerala would be getting from the Central projects ? We have no objection to Kerala being given power from the Central projects which are situated in other States, but when electricity is transmitted from far away places, it leads to transmission losses which sometime account for as high as 20 per cent. Thus, transmission of power from far away places is not at all economical. In view of this, why don't you consider setting up Central projects in each State ? I hope, there is none in the State of Kerala. Will you kindly consider setting up a Central Project in the State of Kerala, thermal or nuclear ? Is there any proposal at present, or if not, will you consider it ?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: The very basis of setting up a Super Thermal Power Station is that it should be located near the pithead of coal. The State Governments themselves are setting up their own thermal power plants. At present there is no proposal of setting up a Central power project in Kerala. However, Kerala is getting its share from the Oentral sector projects set up in the Southern region, incliuding its share of power from the Kalpakkam Uuit 2, Ramagundam and Neyveli Second Mine Cut.

SHRI K. A. RAJAN : Sir, Kerala is a State which has to depend for its energy resources mostly on hydro-electric power, because the vagaries of mansoon have become a problem. Last year we had shortage of power due to this, though earlier we used to supply power to other States. In view of this, I would like to know whether the Government or the CEA have submitted a proposal of having other sources of energy either nuclear or thermal to be instelled in Kerala, particularly becaus- of the peculiar situation of the hydro-electric power ?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : This year, the power position has improved in Kerala because of good monsoons. Kerala has, in fact, entered into an agreement to supply electricity to Tamil Nadu. The Government of Kerala propose to install a thermal power plant with a capactty of 4 x 210 MW and the Kerala State Eleotricity Board have requested the CEA to assist them in the preparation of a feasibility report for the project. The CEA has asked for the relevant material, so that we can help them in setting up thermal power station.

SHRI E. BALANANDAN : We experienced shortage of power in Kerala last year. It is rumoured and said also that there is a proposal to set up a nuclear plant in Kerala State for electricity. What is the exact position ? Have you decided to have a thermal or nuclear plant in the State of Kerala ?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : The question of setting up of an atomic power plant is still under consideration; i.e. setting it up in the South is still under consideration. Secondly, the matter is dealt with directly by the Deptt. of Atomic Energy. So, you may direct this question to that Departh ment.

Violation of Tripartite Agreements Under Emigration Laws by the Employers

*397. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tripartite Agreements in the context of Protector General of Emigrants are signed by the employer, the employee and the protector of Emigrants ;

(b) if so, whether it is a fact that there are cases when the emigration laws, rules and regulations and the directions of the Government have been violated by the employers; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

श्री मनोहर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है -"नो सर" "क्वश्चन डज् नाट एराइज", अध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्टर जनरल आफ इमीग्रेंट जो

लोग बाहर जाते हैं उनके इन्ट्रेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए है लेकिन यहां तो एंप्लायर्स को सेफ गार्ड किया जा रहा है। इसी विषय पर अनस्टार्ड क्वश्चन नम्बर 3467, दिनांक दो मई 1984 को आया था। इस पर हाफ एन आवर डिसकशन भी हुआ था। मंत्री जी ने जवाब में बताया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो लोग बाहर जाते हैं, चाहे लेबरर हों इंजीनियर्स हों या और लोग हों, उनका बड़ा एक्सप्लाइटेशन हो रहा है। एंप्लायर्स उनको न बेजेज देते हैं, न ग्रेच्युटी देते हैं, न ओवर टाइम देते हैं। मिनिमम लिविंग कंडीशंस भी पूरी नहीं की जा रही हैं। इसी प्रकार ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया कि प्रोटेक्टर जनरल साइन नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपके ध्यान में एग्रीमेंट नम्बर 1527 की ओर दिलाऊंगा। यह दिनांक 10.9.81 को मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स मि. सत्यम और प्रोटेक्टर जनरल आफ इमीग्रेंट्स दिल्ली ने साइन किया। आप ने बताया है कि ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट नहीं होता। यह मैं स्पेसिफिक केस आपको बतला रहा हूं। इसमें प्रोटेक्टर जनरल, अंडर सेक्रेटरी ने और डिप्टी सेक्रेटरी ने तीन बार लिखा कि जहां बेजेज, फूड अलाउन्स, ग्रेच्युटी नहीं दी गयी है, यह दी जाए। इसके बावजूद मेसर्स सोमदत्त बिल्डर्स नहीं दे रहे हैं। आपने उनको मैन पावर एक्सपोर्ट लायसेंस दिया है। बैंक गारन्टी दी है व गारंटी देकर लोन दिलवाया है। क्या ये सब बातें सही नहीं हैं। एक डिप्टी सेक्रेटरी सी बी आई के रेड में पकड़े गए और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। कोर्ट में केस चल रहा है। यह सब आपकी जानकारी में हो रहा है। आपने सीधा सा जवाब दे दिया कि "नो सर।"

MR SPEAKER : Order, order. I think the House is no longer interested in the Questions and Answers.

(Interruptions)

श्री मनोहर लाल संनी : यह मैं आपको स्पेसिफिक केस दे रहा हूं। इसमें तीन बार लिखा गया है। इस हाउस के 5 मेंबर भी आपसे मिले हैं। एक साथ भी मिले हैं, अलग-अलग भी मिले हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ है। इसका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। क्या मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स का मैन पावर एक्सपोर्ट लायसेंस कैंसिल किया जाएगा। क्या उनको जो बैंक से पैसा दिलवाया गया है, उसमें से पेमेंट करवाई जाएगी। इसी तरह से बाकी लोगों का जो एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, उसको रोकने का आप प्रबंध करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक जनरल क्वश्चन पूछा है जो लोग बाहर जाते हैं इमीग्रेंट्स वे प्रोटेक्टर जनरल के सामने कुछ डाकूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें एक डाकूमेंट अपाएंटमेंट लेटर होता है जिसमें अपाएंटिंग कंडीशंस दी हुई होती हैं। जब वह प्रोटेक्टर जनरल के सामने पेश हो जाता है तो वह कंडीशंस जेनविन हैं या नहीं, इसको स्पेसीफाई करने के बाद वह अटेस्ट करता है। माननीय सदस्य यह समझ बैठे हैं कि क्योंकि प्रोटेक्टर ने अटेस्ट किया है, इसलिए वह भी एक पार्टी है। यहां पर ट्राइ-पार्टाइट एग्रीमेंट का कोई सवाल नहीं है। जो भी बाहर जाता है तो बाइ-पार्टाइट एग्रीमेंट होता है। एक तरफ एम्पलायर और दूसरी तरफ एम्पलाइ का। एग्रीमेंट, सही और जेनुइन है, उसको सेटीसफाई करने के बाद ही प्रोटेक्टर, अटेस्ट करता है। माननीय सदस्य ने सोमदत्त बिल्डर्स के बारे में पूछा है। अगर, मूल प्रश्न सोमदत्त बिल्डर्स के बारे में होता तो मै अवश्य इस बारे में इन्फार्मेशन लाकर देता। सोमदत्त बिल्डर्स के बारे में एक झगड़ा है। उन्होंने एक एम्पलाई को बगदाद में भेज दिया है। वह कंसट्रक्शन मैनेजर है। मैंने देखा है कि कंसट्रक्शन मैनेजर एमीग्रेशन बिल की डैफीनेशन में नहीं आता

है । इस बिल में कौन आता है, वह तो एक्ट देखने से मालूम हो जायेगा । जब वह एमीग्रेशन की डेफीनेशन में नहीं आते हैं तो तब भी माननीय सदस्य मेरे पास आएं, मैं अपने गुड आफिसेज यूज करके एम्प्लायर्स को कहूंगा कि जो भी बाजबी देना है, वह दे दीजिए । इससे पहले भी हमने कोशिश की है । अब भी मैं कोशिश करूंगा और उसके लिए सोचने के लिए तैयार हूं ।

श्री मनोहर लाल सैनी : जो एम्पलाइज को इस तरह से तंग करते हैं, क्या उनके मैन पावर लाईसेंस को कैन्सिल करने और उनकी बैंक गारन्टी या बैंक लोन को खत्म करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है ? ऐसे कितने केसेज आपके सामने हैं, जिनमें एम्पलाइज का एक्सप्लायटेशन बाहर जाने के बाद हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां पर भी एम्पलाइज का एक्सप्लायटेशन होता है, उसके लिए एमीग्रेशन एक्ट इसी सदन में पास हुआ है । उसमें काफी प्रावधान है । इससे काफी कार्यवाही उन पर कर सकते हैं । मेरे पास तफसीलात हैं, मैं उनको पढ़कर सदन का वक्त जाया नहीं करना चाहता । अगर आप एमीग्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उससे मालूम हो जायेगा कि कोई एम्पलायर या रिक्रूटिंग एजेंट, जो एमीग्रेन्ट बाहर जाता है, उसकी चीट करता है, उसको बराबर बेजेस नहीं देता हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए काफी प्रोविजन एमीग्रेशन एक्ट में है । बहुत से रिक्रूटिंग एजेंट्स को हमने ब्लैक लिस्ट भी किया है और बहुत से एजेन्ट्स के खिलाफ कार्यवाही भी हमने की है । इस तरह जो भी कम्पलेंट्स एमीग्रेन्ट्स को एक्सप्लायट करने के संबंध में हमारे पास आती हैं, उन पर कार्यवाही होती हैं । कानून के हिसाब से जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए, वह लिया जाता हैं । मैं समझता हूं, अब जो भी कम्पलेंट्स हमारे पास आई हैं, वह बहुत कम हैं । वैसे तो तकरीबन दस लाख हमारे एमीग्रेंट्स बाहर और गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं । 1982 में 171, 1983 में 375 और 1984 में 79 कम्पलेंट्स हमारे पास आयी हैं । इस तरह से जब भी हमारे पास कम्पलेंट्स आती हैं तो हम रिक्रूटिंग एजेन्ट या एम्पलायर जो भी है, अगर उसने कानून के खिलाफ काम किया है तो हम जो भी सजा उनको कानून के हिसाब से हो सकती है, वह देते हैं ।

Requirement and Supply of Slack Coal to Gujarat

*398. SHRI AMAR SINH RATHAWA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the quantity of slack coal asked for by the Gujarat State during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 ;

(b) the quantity of slack coal supplied during the said period to meet the demand ;

(c) whether it is a fact that the quantity supplied was much less than the demand; if so whether Government are aware that due to short supply of slack coal most of the kilns were forced to close ; and

(d) the steps being taken to meet the demand of slack coal for the year 1984-85 so that the construction work is not disturbed due to non-availability of bricks ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. SHIV SHNKAR) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statements

The quantities of slack coal programmed for movement by rail for brick burning industry in Gujarat during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 and the quantities supplied by rail against the same are furnished below together with the percentage of materialisation against the programme :